उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग संख्या- 1030 10 / XXXVIII-1-23-13(11) / 2001 देहरादूनः दिनांकः- 2 प्र फरवरी, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 03 की उपधारा (1) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध एवं प्रतिषेध अधिरोपित करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-84 / XXXVIII-1-20-13(11)-2001, दिनांक 16 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-1 (क) में निम्नानुसार संशोधन करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विद्यमान प्रस्तर

1 (क) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक / थर्मीकोल / स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं संख्या–571 (अ), दिनांक 12.08.2021 करेगा:-

- (एक) किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन-वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग : परन्तु बायो-कम्पोरटेबल प्लास्टिक बैग एवं 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक केरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- (दो) थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयूरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, काँटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के
- (तीन) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग

एतद्द्वारा यथासंशोधित प्रस्तर

1 (क)(एक) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सरकार की अधिसूचना भारत में निषिद्ध प्लास्टिक उत्पादों/अन्य सामग्रियों के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगा।

(क)(दो) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–571 (अ), दिनांक 12.08.2021 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई एक सौ बीस (120) माइक्रोन से कम नहीं होगी तथा गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नही होगा।

-CCC/MISC/2/2021-XXXVIII-1-Environment Conservation and Climate Change Department (Comp. 1/103010/2023

1/103010/2023

के हों, जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य / तरल पदार्थ को ढ़कने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

> Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu Date: 28-02-2023 11:32:13 (रमेश कुमार सुधांशु)

प्रमुख सचिव।

Government of Uttarakhand

Environment, Conservation & Climate Change Section No. 103010 /XXXVIII-1-23-13(11)/2001 Dehradun, Dated: 20 February, 2023

Notification

In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section-3 of the Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013, the Governor is pleased to allow to amend the following para-1(a) of notification No-84/XXXVIII-1-20-13(11)-2001, dated 16.02.2021, issued by Government of Uttarakhand to impose restriction and prohibition on plastic in the State of Uttarakhand:-

Existing Para	Para hereby substituted
cutleries made up of thermocol	through another, shall sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute the plastic products/other materials prohibited in the notification number-571(E), dated 12.08.2021, of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India in the whole state of Uttarakhand. 1. (a) (ii) In continuation of Government of India's notification no571(E), dated 12.08.2021, the thickness of any carry bag made of unused or recycled plastic shall not be less than one hundred and twenty (120) microns and non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM) in the state of Uttarakhand.

ECCC/MISC/2/2021-XXXVIII-1-Environment Conservation and Climate Change Department (Comp. 1/103010/2023

1/103010/2023

containers made up of recycled plastics of any size, shape, thickness and colour used to cover, carry, store food/liquid items.

(Ramesh Kumar Sudhanshu) Principal Secretary